


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर
दावा बीरबल वगै० बनाम गोपाल वगै०
मु०न० 277 / 2025

	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी सं. 7 व 8 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 की ओर से पूर्व में इकवाली जबाब दावा पेश हो चुका है तथा प्रतिवादी सं० 5 व 6 की ओर से एड० श्री नेमीचन्द जाखड़ ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की। मामला तकास्मा का है। दौराने बहस वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य हक हिस्सा व कब्जाकाशत के अनुसार विधिक विभाजन किया जाने का आदेश पारीत किया जावे।</p> <p>हमने बहस पर सगोर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विधिक विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि :- भूमि ख०न० 222 रकबा 2.1300 है०, 225 रकबा 1.1600 है०, 226 रकबा 0.5900 है० कुल किता 3 कुल रकबा 3.8800 है० एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 0.6200 है०, 219 रकबा 1.1600 है०, 220 रकबा 0.0500 है०, 223 रकबा 0.7500 है०, 224 रकबा 0.6700 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.2500 है०, खसरा नम्बर 227 रकबा 1.1000 है० किता 1 कुल रकबा 1.1000 है०, खसरा नम्बर 217 रकबा 5.9500 है० तन राजस्व ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का-मलिकपुर, भू अभि.नि.-बावड़ी, तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान का तहसीलदार रींगस उभय पक्षकारान को सुचित करते हुए उनकी मौजूदगी में मौके पर पक्षकारान के हक हिस्सा व</p>	<p>P.T. के सहमत (वकील गण)</p> <p>P.T. के सहमत जति. 1 ता 6 को और से</p> 

R

कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करे। व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 10546 दिनांक 05.10.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। ध्यान रहे विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सरतो का प्रावधान रखते हये, नक्शा ट्रेज में अलग-अलग रीव नीव कायम कर, यदि आवश्यक हो तो गिन बटा नम्बर डालकर, पृथक-पृथक लगान कायम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। इसी भांति प्राथमिक डिक्री पर्चा कायम हो। प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रींगस को तहसीर जारी हो। वारंते वाईन्तजार विभाजन प्रस्ताव हेतु मिसल दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।

R

18/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठारीन अधिकारी दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यबाही हेतु दिनांक 03.09.25 को पेश हो।

03/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठारीन अधिकारी दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यबाही हेतु दिनांक 09/09/25 को पेश हो।

09/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठारीन अधिकारी दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यबाही हेतु दिनांक 15/09/25 को पेश हो।

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतर्गत दिनांक 15/09/25 को पेश हो।

AD

मे 1 साथ ही अधिकारी सां. ता 6 के
 दक्षिण में नैतिक शक्ति के भी
 साक्षी-पदान को अतः वादीज
 का काट मुताबिक विभाजन प्रस्ताव है
 स्वीकार किया जाए कि जो विभाजन
 किया जाता है कि:-

आदेश

अति सं. नं० 222, 225, 226 किंग-3
 रकबा 3.88 है एवं सं. नं० 218, 219, 220
 223, 224 किंग-5 कुल रकबा 3.28 है
 सं. नं० 227 रकबा 5.95 है तब ग्राम
 मलिकपुर पंचायत एका मलिकपुर तहसील
 दीगंज जिला सीकर राज. का तहसील
 रीगंज से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/
 अ. अ. / 2025 / 3074 दिनांक 29.08.2025 के
 मुताबिक, जो वादी का वाद अति किंग
 किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव किंग
 व किंग का गण लेगा। मुताबिक विभाजन
 प्रस्ताव ही साक्षी के अंतर्गत दस्तावेज
 सभी भीतर किंग जारी है। जिला फौजदार
 मुताबिक एका के अंतर्गत वादी तहसील
 वादी है।



उपर्युक्त अधिकारी
 रायसा (जी.पी.)